EDP Local.

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक

नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद-500 009

Office of the Controller of Defence Accounts
No.1, Staff Road, Secunderabad-500 009

दूरभाष/Telephone: 040-27843385 फैक्स/Fax:040-27817275

सं./No. Pay Tech/4018/Misc दिनांक/Dt. 16/08/2018

To
All Units
All GE Offices
AAO (Army) Visakhapatnam.

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : सा.भ.नि. दावों का अंतिम निपटान - र.ले.नि. (निधि) मेरठ को तीन महीने पहले ही प्रस्तुत करने के संबंध में ।

Sub : Final Settelement of GPF claims – submission to CDA(Funds) Meerut 3 months in advance – Reg.

संदर्भ/**Ref**: र.ले.नि., (निधि) मेरठ का पत्रांक / CDA (Funds) Meerut letter No. प्रशा/समन्वय/5002/सामान्य दिनांक/dated 06.07.2018

******

1. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अंतिम निपटान के दावों को रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ को सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले ही प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि दावों को संसाधित करके कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन ही दावे का भुगतान किया जा सके ।
   The final settlement claims of GPF on superannuating employees are to be forwarded to CDA(Funds), Meerut 3 months in advance to facilitate to process the claims and payments are to be made on the next day of superannuation of the employee.

2. र.ले.नि. (निधि) मेरठ के संदर्भाधीन पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सा.भ.नि. अंशदान की कटौती को बंद कर दिया जाना चाहिए ।
   The GPF subscription of superannuating employees are to be discontinued for the last 3 months of superannuation as per the guidelines of CDA (Funds) Meerut, ibid letter under reference.

3. र.ले.नि. (निधि) मेरठ ने इंगित किया है कि कुछ सा.भ.नि. के दावे, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद प्राप्त हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त व्यक्ति को उसका भुगतान करने में विलंब होता है ।
   CDA (Funds) Meerut had pointed out that, some GPF claims of superannuation are received after the date of retirement which interalia resulted in delay of payment to the retirees.

अतः, सभी यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सा.भ.नि. दावों को सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले ही लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा यह भी अनुरोध किया जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सा.भ.नि. अंशदान को सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले से ही बंद कर दें ।

Therefore, all the units are to ensure submission of GPF claims of superannuating employees before 3 months to Audit office and requested to stop recovery of GPF subscription for the last 3 months of superannuating employees.

एस. मुरलीकृष्णा

(एस. मुरलीकृष्णा)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन)